न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म०प्र०)

निग /14038-II-15

रामा यादव पुत्री दलपत यादव उम्र लगभग 55 वर्ष
साकिन ग्राम पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) = = निगरानीकर्ता/आवेदिका

।। विरुद्ध ।

म० प्र० शासन = = उत्तरवादी/अनावेदक

G. P. Nayak Adv. द्वारा आज दि. 17-12-15 को प्रस्तुत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र अन्तर्गत निगरानी धारा – 50 म० प्र० भू० राजस्व संहिता :-

आवेदिका/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, उक्त निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण क्र. – 54/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 05/02/2013 जो कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है से दुखी होकर प्रस्तुत की हैं ।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

Wshdon 17.12.15 G P Nayak Adv.

1) यह कि, निगरानीकर्ता की माँ पूनाबाई पत्नि दलपत यादव को प्र० क्र०– 15 ए/1913 वर्ष 1988–89 में आदेश दिनांक 15/03/1988 के तहत मौजा पलेरा हाट खसरा नंबर क्रमशः 1490/3 ब, 1518/2–क, 1518/2–क/1, 1806/2215 एवं 1622/2216/2 म०प्र० शासन द्वारा व्यवस्थापन से प्राप्त हुयी थी जिसका रकबा क्रमशः 0.304 हे०, 0.271 हे०, 0.209 हे०, 0.930 हे०, 0.166 हे० है । जिसका जिक्र तहसील पलेरा के प्रकरण क्रमांक 43 ए–6 ए वर्ष 2009–10 का प्रतिवेदन क्रमशः आदेश पत्रिका संलग्न है जो कि दिनांक 14/07/2010 से लगायत 20/01/11 तक है जो कि एनेक्जर क्रमांक–1 से 3 तक हैं ।

2) यह कि, तहसील पलेरा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा विचारण दौरान प्रकरण दर्ज किया जो कि प्रकरण क्रमांक 39/बी–121 वर्ष 10–11 आदेश पत्रिका दिनांक 12/02/11 है जो कि एनेक्जर –4 हैं । जो कि कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ प्रेषित किया गया था कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा बिन्दुवार जानकारी हेतु आदेश पारित किया था जो कि आदेश पत्रिका दिनांक 23/04/11 है जो एनेक्जर–5 है।

3) यह कि, ~~तहसीलदार~~ जिला कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 23/04/11 के तहत तहसील पलेरा से बिन्दुवार जानकारी प्राप्ति हेतु हल्का

रामा

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4038—दो / 2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
17.12.15	आवेदिका के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को निगरानी मेमो पर सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदिकां की स्वर्गीय मॉ पूनावाई पत्नि दलपत यादव को तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 15 अ—19/1988—89 में पारित आदेश दिनांक 15-3-88 से ग्राम पलोहार की भूमि सर्वे कमांक 1430/3 ब रकबा 0.304 है., सर्वे नंबर 1518/2 क रकबा 0.271 हैक्टर, सर्वे नंबर 1518/2—क/1 रकबा 0.209 हैक्टर, 1806/2215 रकबा 0.930 हैक्टर, सर्वे नंबर 1622/2216/2 रकबा 0.166 हैक्टर व्यवस्थापित की गई थी, किन्तु व्यवस्थापन उपरांत पटवारी ने अभिलेख में अमल नहीं किया। अपर कलेक्टर के समक्ष वस्तुस्थिति आने पर उन्होंने प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 21—5—2013 से भूमि व्यवस्थापिती तदुपरांत उसकी उत्तराधिकारी रामा पुत्री दलपत यादव का नाम पटवारी रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जिसके पालन में तहसीलदार पलेरा ने आदेश	

दिनांक 20-6-13 से पटवारी रिकार्ड दुरूस्त कराने के निर्देश दिये एंव आवेदिका का नाम ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर प्रविष्टि दिनांक 28-8-13 प्रस्तुत होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29-8-13 से नामान्तरण का अमल स्वीकार किया है।

3/ अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21-5-2013 के पालन में खसरा नंबर 1490/3 ब रकबा 0.304 हैक्टर का अमल करना छूट जाने से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 359/2013-14 अ-19 प्रस्तुत हुई एंव आदेश दिनांक 11.3.2014 से इस सर्वे नंबर की भूमि पर भी रामा पुत्री दलपत यादव का नाम दर्ज करने के आदेश हुये हैं।

4/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21-5-2013 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील कमांक 359/2013-14 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 11.3.2014 एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर प्रविष्टि दिनांक 28-8-13 पर तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 29-8-13 से आवेदिका के हित में किया गया नामान्तरण

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4038 –दो / 2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	अपील/निगरानी के अभाव में तीनों ही आदेश अंतिम रूप ले चुके है इसके वाद भी सर्वे क्रमांक 1490/3 (व) के रकबा 0.304 हैक्टर में से रकबा 0.200 हैक्टर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 54 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-2-13 से नगरपालिका पलेरा के प्रस्ताव पर पार्क एंव सामुदायिक भवन निर्माण हेतु आरक्षित किया है, जिसमें आवेदिका को न तो सूचना दी गई और न ही सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस प्रकार कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 54 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-2-13 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 54 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-2-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है। सदस्य	